

केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय विधेयक, 2019

खंडों का क्रम

खंड

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ ।
2. परिभाषाएं ।
3. विश्वविद्यालयों की स्थापना ।
4. विश्वविद्यालय की स्थापना का प्रभाव ।
5. विश्वविद्यालय के उद्देश्य ।
6. विश्वविद्यालय की शक्तियां ।
7. विश्वविद्यालय का सभी वर्गों, जातियों और पंथों के लिए खुला होना ।
8. कुलाध्यक्ष ।
9. विश्वविद्यालय के अधिकारी ।
10. कुलाधिपति ।
11. कुलपति ।
12. विद्यापीठों के संकायाध्यक्ष ।
13. कुल सचिव ।
14. निदेशक ।
15. वित्त अधिकारी ।
16. परीक्षा नियंत्रक ।
17. पुस्तकालयाध्यक्ष ।
18. अन्य अधिकारी ।
19. विश्वविद्यालय के प्राधिकारी ।
20. सभा ।
21. कार्य परिषद् ।
22. विद्या परिषद् ।
23. अध्ययन बोर्ड ।
24. वित्त समिति ।
25. योजना और मानीटरी बोर्ड ।
26. विश्वविद्यालय के अन्य प्राधिकारी ।
27. परिनियम बनाने की शक्ति ।
28. परिनियम किस प्रकार बनाए जाएंगे ।

29. अध्यादेश बनाने की शक्ति ।
30. विनियम ।
31. वार्षिक रिपोर्ट ।
32. वार्षिक लेखे ।
33. विवरणी और सूचना ।
34. कर्मचारी, इत्यादि की सेवा की शर्तें ।
35. छात्रों के विरुद्ध अनुशासनिक मामलों में अपील और माध्यस्थम् की प्रक्रिया ।
36. अपील करने का अधिकार ।
37. भविष्य निधि और पेंशन निधि ।
38. प्राधिकारियों और निकायों के गठन के बारे में विवाद ।
39. आकस्मिक रिक्तियों का भरा जाना ।
40. प्राधिकारियों या निकायों की कार्यवाहियों का रिक्तियों के कारण अविधिमान्य न होना ।
41. सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण ।
42. विश्वविद्यालय के अभिलेखों को साबित करने का ढंग ।
43. कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति ।
44. परिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों का राजपत्र में प्रकाशित किया जाना और संसद् के समक्ष रखा जाना ।
45. संक्रमणकालीन उपबंध ।
46. विश्वविद्यालय की परिषदें, बोर्ड, स्थायी समितियां और प्रकोष्ठ ।
47. समितियों का गठन ।

प्रथम अनुसूची

दूसरी अनुसूची